सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1520/CG/2/2023-ESDW **दिनांक: 03.04.2023**

सेवा में,

श्री हरिस एस.,
जिला कलेक्टर,
जिला सुकमा,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
सुकमा, छत्तीसगढ़-494111
ई-मेल: sukma.cg@nic.in

श्री विनीत नंदनवार,
जिला कलेक्टर,
जिला दांतेवाड़ा,
संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन, मुख्य मार्ग
आवराभाटा, दांतेवाड़ा-494449, छत्तीसगढ़
ई-मेल: collector-dnt.cg@gov.in

विषय: फर्जी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करवाने के संबंध में श्री सलवम राजराव, ग्राम फंडीगुड़ा, पोस्ट-इंजरम, तहसील-कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री सलवम राजराव से** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

4517-19
5/4/23
O/C
जारी किया
ISSUED

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री सलवम राजराव,
ग्राम फंडीगुड़ा, पोस्ट-इंजरम,
तहसील-कोंटा, जिला सुकमा,
छत्तीसगढ़